International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI)
ISSN (Online): 2319 – 7722, ISSN (Print): 2319 – 7714
www.ijhssi.org ||Volume 8 Issue 1 Ser. I || January 2019 || PP 78-80

अन्त्योदय अन्न योजना से बदलता समाज जनपद शाहजहॉपुर के विषेष सम्बन्ध में

डॉ0 पूनम
एसोसिएट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग
एस0एस0(पी0जी0) कालेज शाहजहॉपुर

डॉ0 राम शंकर पाण्डेय
असिस्टेंट प्रोफेसर अर्थशास्त्र विभाग
एस0एस0(पी0जी0) कालेज शाहजहॉपुर

नौवीं पंचवर्शीय योजना का लक्ष्य, वृद्धि के साथ सामाजिक न्याय और समानता था। इस पंचवर्शीय योजना में गरीबी मिटाने, पर्याप्त रोजगार पैदा करने, सभी के लिए विषेशकर असुरक्षित वर्गों के लिए खाद्यान्न तथा पौश्टिक आहारों की सुरक्षा को बड़े स्तर पर षामिल किया गया हैं। जिनके आधार पर ग्रामीण क्षेत्र में व्याप्त भुखमरी को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेष में राश्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 को लागू किया गया जिके अन्तर्गत अन्त्योदय अन्न योजना चलायी जा रहीं हैं। वास्तव में राश्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना एक ऐतिहासिक क्रान्तिकारी कदम हैं। ग्रामीण विकास के इतिहास में पहली बार गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों के लिए कानूनी और वैधानिक दर्जा मिला हैं।

राश्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के द्वारा यह सुनिष्चित करने का प्रयास किया गया हैं। कि गरीबी रेखा के नीचे ग्रामीण परिवार को कम लागत पर गेहूँ तथा चावल उपलब्ध कराये जायें, तथा सबसे गरीब तब का भोजन न मिलने पर अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। केन्द्र सरकार द्वारा वर्श 2013 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह के द्वारा यह कानून सम्पूर्ण भारत में लागू किया गया, इस अधिनियम की रूप रेखा तैयार करते समय विद्यवानों के साथ एक लम्बी प्रक्रिया चलायी गई जिसके माध्यम से लोंगो को जरुरतें पूरी हो यह कानून ग्राम सभाओं सामाजिक ऑडिट सहभागी नियोजन और अन्य माध्यम से ग्रामीण लोगों को भोजन की गारण्टी देता हैं। अगर अन्य कानूनों से इसकी तुलना की जाए तो यह निष्चित ही जनता के लिए जनता का कानून हैं।

यह कानून भश्टाचार, घटतौली, न्याय, पारदार्षिता जैसी समस्याओं की तरफ ध्यान आकर्शित कर रहा हैं, जिसके कारण बड़े पैमाने पर भुखमरी फैल रही हैं, राश्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का लक्ष्य सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना हैं। जिससे गांव में गरीबी रेखा से नीचे या ऊपर सभी व्यक्तिओं को खाद्यान्न मिल सकें।

अन्त्योदय अन्न योजना की पृश्ठभूमि

यह योजना भारतीय स्वतंत्रता की स्वर्ण जयन्ती में प्रारम्भ हुई हैं। पूर्व की भंति अन्य पंचवर्शीय योजनाओं की तरह इस योजना के दृश्टिकोण के परिपत्र में भारत से निर्धनता, भुखमरी, आर्थिक विशमता को जड़ से उखड़ फैकने का संकल्प लिया गया। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिकेन्द्रीत तथा गरीब आबादी के अत्यन्त करीब बरकतक पहुँचने के लिए अन्त्योदय अन्न योजना दिसम्बर, 2000 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा राजस्थान में लागू किया था जिसे बाद में पूरे देष में लागू किया गया।

इसके अन्तर्गत 2 रुपये किलो गेहूँ, तथा 3 रुपये किलो चावल प्रति परिवार 35 किलो तक बढ़ा दिया गया है। इस योजना का सारा खर्च केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है। तथा इसकी जिम्मेदारी प्रत्येक राज्य और संघ राज्य सरकार को दे दी गई है।

अन्त्योदय अन्न योजना गरीबी रेखा से नीचे बी.पी.एल परिवारों की पहचान करके एक करोड़ परिवार के लिए षुरू की गई थीं इस योजना के तहत राषि को तीन, चार 2003–04,तथा 2004–05, और 2005–06 के दौरान हर वर्श पचास लाख अतिरिक्त परिवारों के लिए बढ़ाया गया इस प्रकार अन्त्योदय के अन्तर्गत कुल 2.50 करोड़ परिवारों तक लाभ पहुंचाया गयज्ञं

षोध के उद्देष्य

राश्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को क्रियान्वयन करने में षासन एवं प्रषासन स्तर पर अनेक कमियाँ सामने आयी हैं। लोंगो को 30 दिन का पौश्टिक राषन न मिलना आदि।

समस्या को ध्यान में रखते हुए इस लघु षोध के माध्यम से निम्न उद्देष्यों के लिए कार्य करने का प्रयास कर रहा हूँ।

1. अन्त्योदय अन्न योजना का क्रियाविधि का अध्ययन करना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी भूमिका का मूल्यांकन करना।
2. ब्लॉक भाबलखेड़ा अन्त्योदय अन्न योजना से लाभान्वित परिवारों की आर्थिक व सामाजिक स्थिति का मूल्यांकन करना।
3. अन्त्योदय अन्न योजना के द्वारा महिलाओं के सषक्तिकरण में पड़ने वाले प्रभावों का मूल्यांकन करना।

कोटा रजिस्टर

कोटा रजिस्टर की एक अलग पहचान होगी, जिसमें कोटेदार का प्रमाणित फोटो लगा होगा तथा जिसमें पेजो की संख्या प्रमाणित होगी इसके साथ अन्य सूचनाएँ होगी जो निम्न हैं–

A. लाभार्थी का नाम, राषन कार्ड संख्या, आबंटित राषन।
B. कोटा रजिस्टर में लाभार्थियों की श्रेणी और उसका आधार नम्बर भी अंकित किया गया।
C. आबंटित राषन का स्वरूप गेहूँ अथवा चावल व अन्य, लाभार्थी के हस्ताक्षर अथवा निषानी अंगूठा भी होना चाहिए।
D. रजिस्टर में कुल प्राप्त खाद्यान्न तथा वितरण खाद्यान्न का पूरा विवरण होना चाहिए।
E. रजिस्टर की फोटो प्रति कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय तथा ग्राम पंचायत कार्यालय में भी होनी चाहिए।

विकास खण्ड भावलखेड़ा में राश्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत अन्त्योदय अन्न योजना के राषन कार्ड धारकों की स्थिति

(100 राषन कार्डों का सर्वे)

क्रमांक संख्या	राषन कार्ड धारकों को मिलने वाली सुविधा एवं समस्याएं	अन्त्योदय अन्न योजना का सकारात्मक प्रभाव (प्रतिषत में)	अन्त्योदय अन्न योजना का नकारात्मक प्रभाव (प्रतिषत में)	कुल प्रतिषत
	राषनकार्ड धारकों को आबंटित राषन स्थिति	93	07	100
	राषन दिवसों में 30 खाद्य	27	73	100
	समय पर अनाज का वितरण	45	55	100
	बेराजगारी की समस्या का समाधान	46	54	100
	गरीबी दूर करने में अन्त्योदय अन्न योजना की भूमिका	03	97	100
	अन्त्योदय अन्न योजना से आय में वृद्धि	40	60	100
	अन्त्योदय अन्न योजना से जीवन स्तर में परिवर्तत	10	90	100
	खाद्य भत्ते का भुगतान	00	100	100
	अन्त्योदय अन्न योजना से महिलाओं की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन	70	30	100
	कृशि श्रमिकों की आपूर्ति स्थिति	88	12	100
	गाँव से षहरों की ओर पलायन की स्थिति	06	94	100

स्त्रोतः– प्राथमिक सूचना के आधार पर

उपरोक्त तालिका का विषलेशण जनपद षाहजहॉपुर के विकास खण्ड पसगवां में अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत राषन कार्ड धारकों की स्थिति में क्या सकारात्मक व क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ा हैं। मेरे द्वारा प्राथमिक सर्वे के आधार पर जो वास्वविक स्थिति निकल कर आयी हैं। उसका विवरण निम्न हैं।

राश्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत अन्त्योदय अन्न योजना के 100 राषन कार्ड धारकों के राषन की स्थिति 93 प्रतिषत अन्त्योदय अन्न योजना की पूर्ण जानकारी हैं। तथा 7 प्रतिषत राषन कार्ड धारकों की सही जानकारी नहीं हैं। कि इस योजना के अन्तर्गत हमारे अधिकार क्या हैं, और हमें क्या मिलना चाहिए 30 खाद्य दिवसों में से मात्र 27 प्रतिषत राषन कार्ड धारकों को 30 दिन का खाद्यान्न प्राप्त हो सका और षेश कार्ड धारकों को 30 दिन का खाद्यान्न नहीं प्राप्त हुआ हैं। इससे यह बात साफ होती है, कि जो लक्ष्य सरकार ने निर्धारित किया था, वह उस तक नहीं पहुंच पा रही और यह योजना अपने लक्ष्य से भटक गई हैं। अगर आबंटन की बात करें तो इसमें सर्वे में यह बात सामने निकल कर आयी हैं, कि 45 प्रतिषत लोंगो को समय पर खाद्यान्न का वितरण हुआ हैं, और 55 प्रतिषत लोंगो का राषन का वितरण समय पर नहीं हुआ।

राश्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत अन्त्योदय अन्न योजना में बेरोजगारी की समस्या का समाधान 46 प्रतिषत सकारात्मक हुआ है, और 54 प्रतिषत लोग ये मानते हैं, कि इस समस्या का समाधान नहीं हुआ। यह आज भी ज्यों–की–त्यों बनी हुई हैं। और 100 प्रतिषत में से गरीबी दूर करने में इसकी भूमिका मात्र 03 प्रतिषत सकारात्मक रूप से सही हैं। व 97 प्रतिषत यह मानते है, कि इस योजना का प्रभाव गरीबी दूर करने में कोई भूमिका नही बल्कि महगांई के दौर में महंगाई कम होने की जगह यें समस्या बिकराल रूप लेती जा रहीं हैं।

राश्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत अन्त्योदय अन्न योजना में 100 प्रतिषत में से आय में वृद्धि का रूप 40 प्रतिषत सकारात्मक रहा हैं। व 60 प्रतिषत लोग यह मानते हैं, कि अन्त्योदय अन्न योजना से आय में कोई वृद्धि नहीं

हुई हैं। जिससे लोंगो के जीवन स्तर में परिवर्तन नहीं हुआ हैं। इससे यह बात साफ होती हैं, कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव अधिक नहीं पड़ा इस योजना के अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा के भत्ते की बात करें तो यह बात साफ होती हैं, कि 100 कार्ड धारकों में से आज तक किसी कार्ड धारक को खाद्य सुरक्षा भत्ता नहीं मिला।

राश्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत अन्त्योदय अन्न योजना में 100 में से महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन की स्थिति 70 प्रतिषत सकारात्मक रही हैं, और 30 प्रतिषन लोग मानते हैं, की महिलाओं की आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। यदि हम गांव से षहरों की और पलायन की बात करें तो 100 में से 04 प्रतिषत लोग इसे सकारात्मक मानते हैं। और षेश 96 प्रतिषत लोग यह मानते हैं,की आज भी बड़ी मात्रा में लोग रोजगार प्राप्त करने के लिए गांव से षहर की ओर पलायन कर रहे हैं।

उपयुक्त विष्लेशण से ज्ञात होता हैं, की राश्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में अन्त्योदय अन्न योजना की स्थिति क्या हैं। यह सरकार वास्तव में चाहती है, की इसके परिणाम सकारात्मक रहे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की क्रय षक्ति बढ़े और विकास हो तो कुछ सकारात्मक हो सकता हैं।

निश्कर्श

समाज में रहने वाले वास्तविक रूप से गरीबी रेखा से नीचे तथा गरीबी रेखा के ऊपर वालों की सूची बनायी जाए। और उन्हें इस योजना के माध्यम से सुविधा प्रदान की जाए। ग्रामीण गरीबों को अधिक सुविधा प्रदान की जाए। जिससे वे गरीबी से ऊपर उठ सकें। तथा इस कलंक को मिटा सकें और हम सभी साथ देष की प्रगति में सहयोगी बन सकें इस अधिनियम के माध्यम से इस योजना में जितने भी प्रावधान हैं। उन सभी पात्र लोंगो को दिये जाए जिससे इस योजना तथा इस अधिनियम की उपयोगिता बनी रहें।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. भारतीय अर्थव्यवस्था– रुद्र एवं दत्त
2. पन्त डी.सी (2012) –भारत में ग्रामीण विकास
3. वर्मा सवालिया पाण्डेय अभिनारायण एवं जलोदा षिवकुमार (1994) –ग्रामीण विकास अविश्कार पब्लिसर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स जयपुर राजस्थान
4. नीरजा ललन (2004)– ग्रामीण विकास
5. अविश्कार अभिसर्स जयपुर राजस्थान
6. भारत (2017) –सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार
7. राश्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का विस्तृत अध्ययन
8. भारत की आर्थिक नीति– बी.सी. सिन्हा